<u>समाचार</u>

बड़े बकायादार की सम्पत्ति की गई सील

(कर न जमा करने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर रहा है निगम)

कोरबा 30 मार्च 2026 – निगम को देय सम्पत्तिकर संबंधित करदाताओं द्वारा न पटाये जाने पर आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर निगम लगातार कड़ी कार्यवाही कर रहा है, इसी कडी में आज एक और बड़े बकायादार वार्ड क्र. 05 गांधी चौक कोरबा निवासी केदारनाथ गुप्ता बकाया राशि 92 हजार 160 रूपये की सम्पत्ति को निगम अमले ने सील कर दिया गया है तथा उन्हें हिदायत दी गई है कि वे तत्काल सम्पूर्ण बकाया राशि निगम कोष में जमा करायें।

नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा ऐसे बड़े बकायादारों जिनके द्वारा निगम को देय बकाया करों के भुगतान किए जाने में रूचि नहीं ली जा रही है तथा बार–बार वारंट, नोटिस दिए जाने के बावजूद उनके द्वारा बकाया करों की राशि निगम में जमा नहीं कराई जा रही, ऐसे बकायादारों के विरूद्ध निगम कड़ी कार्यवाही कर रहा है। यहॉ उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा सम्पत्तिकर, समेकित कर, जलकर आदि सहित विभिन्न करों की एक बड़ी बकाया राशि बकायादारों से प्राप्त की जानी है, इस हेतु निगम द्वारा बकायादारों को बार–बार नोटिस व वारंट आदि जारी कर बकाया राशि का भुगतान निगम कोष में किए जाने हेतु कहा जा रहा है, किन्तु बकायादारों द्वारा राशि जमा करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही है, जिसके कारण एक ओर जहॉ निगम को आर्थिक क्षति उठानी

पड़ रही है, वहीं नगर के विकास व नागरिक सुविधाओं की बेहतरी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभावित हैं। आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के कडे निर्देश पर नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा अब इन बकायादारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में आज कोरबा जोनांतर्गत वार्ड क्र. 05 गांधी चौक निवासी केदारनाथ गुप्ता की सम्पत्ति को निगम द्वारा सील कर दिया गया है, कार्यवाही के दौरान जोन कमिश्नर नीरज कौशिक, उप जोन प्रभारी अजय कुमार अग्रवाल, उप अभियंता विनोद गोंड़, उत्तम राठौर, तेजराम सोनी, श्यामलाल यादव , प्रेमप्रकाश के साथ अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

<u>सी.एण्ड डी.वेस्ट पर 4000 रू. का अर्थदण्ड</u> – नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा सड़क व सार्वजनिक स्थल पर सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री आदि डम्प करने वालों के विरूद्ध भी लगातार कार्यवाही की जा रही है, आज इसी कड़ी में आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय के निर्देश पर निगम अमले द्वारा कोसाबाड़ी जोनांतर्गत सड़क पर 02 व्यक्तियों के द्वारा सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री डम्प किये जाने पर कार्यवाही करते हुये 4000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा उक्त सी.एण्ड डी.वेस्ट का उचित निपटान व प्रबंधन तत्काल किये जाने के निर्देश दिये।

<u>गंदगी फैलाने पर 3000 रू. जुर्माना</u> – महाराणा प्रताप अटल आवास परिसर के समीप एक व्यक्ति द्वारा खुले में कचरा डाला जा रहा था, इस पर निगम के स्वच्छता विभाग के अमले द्वारा कार्यवाही करते हुये संबंधित पर 3000 रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा कड़ी चेतावनी दी कि दुबारा सार्वजनिक स्थल, चौक–चौराहों व खुले में कचरा न डालें, अन्यथा और अधिक कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

<u>तत्काल जमा करें, बकाया करों की राशि</u> – आयुक्त श्री आशुतोष पांडेय ने निगम समस्त बकायादारों, करदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे निगम को देय करों की बकाया राशि तत्काल निगम में जमा कराए तथा एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दे। उन्होंने कहा है कि समय पर कर राशि जमा न कराने पर एक ओर जहाँ निगम को आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है तो वही दूसरी ओर नगर के विकास कार्य व नागरिक सुविधाएं प्रभावित होती है, साथ ही नियमित रूप से कर जमा न करने पर करदाताओं पर बकाया राशि बढ़ती जाती है, जिसे एक न एक दिन जमा कराना ही पड़ता है, अतः आवश्यक है कि करों का नियमित भुगतान किया जाय। आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा है कि निगम द्वारा बकायादारों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, अतः कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचने हेतु तत्काल बकाया राशि निगम में जमा कर दें। आयुक्त श्री पाण्डेय ने भवन निर्माताओं से भी कहा है कि वे सी.एण्ड डी.वेस्ट व भवन निर्माण सामग्री सड़क व सार्वजनिक स्थल पर डम्प न करें, इससे आवागमन में आमनागरिकों को असुविधा होती है, दुर्घटनायें घटित होती है व निगम की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है, निगम द्वारा इस पर लगातार कार्यवाही की जा रही है, अतः सी.एण्ड डी.वेस्ट का उचित प्रबंधन करें, कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।